-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 खुली हुई मोटरसाइकिलें, उनके विभिन्न पार्ट्स तथा मोटरसाइकिल खोलने में प्रयुक्त उपकरण आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अतर्रा सुश्री प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कस्बा अतर्रा में रह रहे राधेश्याम पुत्र छोटे लाल द्वारा थाना अतर्रा पर सूचना दी गई थी दिनांक 30.06.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए अभियुक्त की पहचान कर दिनांक 02/03.07.2026 की रात्रि में पुलिस टीम द्वारा संजय नगर रोड कस्बा अतर्रा से गिरफ्तार कर किया गया। चोरी की गई मोटरसाइकिल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने ही मोटरसाइकिल चोरी की थी जिसे वह अपने घर में ले जाकर उसको खोलकर रखा है। पुलिस द्वारा तत्काल अभियुक्त की बताए हुए स्थान पर जाकर तलाशी ली गई तो मौके से खुली हुई चोरी की दो मोटरसाइकिलें व उसके विभिन्न पार्ट्स सहित मोटरसाइकिल खोलने के उपकरण आदि बरामद हुए। दूसरी मोटरसाइकिल के बारे पूछने पर बताया कि कुछ दिन पूर्व उसके द्वारा कस्बा अतर्रा से ही एक बारात से चोरी किया था। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए खुली हुई दोनों मोटरसाइकिलों व उसके पार्ट्स को कब्जे में लिया गया। पुलिस द्वारा बरामद दूसरी चोरी की मोटरसाइकिल के वास्तविक स्वामी की पहचान एवं अन्य आवश्यक तथ्यों के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा अन्य किन-किन स्थानों पर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा चोरी की मोटरसाइकिलों के विभिन्न कल-पुर्जों को वह किन व्यक्तियों अथवा स्थानों पर बेचने की फिराक में था या पूर्व में कहां-कहां उनकी बिक्री कर चुका है। साथ ही इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 अधखुली मोटरसाइकिल एवं उसके पार्ट्स (चोरी के)
- 01 अन्य मोटरसाइकिल के विभिन्न पार्ट्स (चोरी)
- मोटरसाइकिल खोलने के विभिन्न औजार- छोटी/बड़ी 07 रिंच, 02 नट स्पेनर, वायर कटर, पेचकस आदि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ उर्फ छोटू पुत्र दिनेश निवासी संजय नगर कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 247/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राकेश कुमार तिवारी प्र0नि0 थाना अतर्रा
2. श्री गौरव प्रताप सिंह चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप
4. कां0 राहुल साहू
5. कां0 अजय कुमार
6. कां0 पंकज द्विवेदी
7. म0कां0 पूजा रावत